न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथकाबरवाड़ा

मु0नं0:–30 / 2012 तारीख रजू:–20.11.2012

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2012 / 00069

पीठासीनअधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. प्रहलाद पुत्र धन्ना, गुर्जर (फोत) निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा। **(फोत)**
1 / 1. सोनी पत्नि प्रहलाद गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा। **(हजफ)**
1 / 2. प्रकाशी पुत्री प्रहलाद, गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
1 / 3. जसोदा पुत्री प्रहलाद, गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
1 / 4. चौथमल पुत्र प्रहलाद, गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
1 / 5. किशन लाल पुत्र प्रहलाद, गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
1 / 6. जनता पुत्री प्रहलाद, गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
रामबिलास पुत्र धन्ना उम्र 62 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासीयान जगमोदा तहसील चौथ का बरवाडा। **(फोत)**
2 / 1. शिवराज पुत्र रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2 / 2. देवनारायण पुत्र रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2 / 3. रामस्वरूप पुत्र रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2 / 4. ग्यारसी पुत्री रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2 / 5. सन्तरा पुत्री रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2 / 6. रामकेश पुत्री रामबिलास गुर्जर, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

–वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मोरमाल मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. स्वरूपा पुत्र प्रहलाद मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3. धनपाल पुत्र प्रहलाद मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
4. बदरी पुत्र प्रहलाद मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
5. फूल्या पुत्र प्रहलाद मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
6. फतेहलाल पुत्र केसरलाल मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
7. हरिराम पुत्र हीरालाल मीना, निवासी जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–

वकील वादीगण:–श्री श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील प्रतिवादीगण 1 लगायत 5:– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी सं. 6 व 7:– एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

निर्णय दिनांकः– 10.11.2025

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

➢ वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 ग्राम जगमोदा के है व प्रतिवादी नं. 6 व 7 ग्राम बन्देडिया के रहने वाले है।

➢ वादीगण एवं इनके भाई रामकुंवार, हीरालाल, रामनिवास के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख. नं. 450 रकबा 0.20 है0 व ख.नं. 438 रकबा 0.29 है0 भूमि ग्राम जगमोदा में स्थित है। जो सम्मिलित खातेदारी की भूमि है, लेकिन रामकुंवार, हीरालाल, रामनिवास काफी समय पहले जिला चितौडगढ में ग्राम दुगार में जाकर बस गये और ग्राम जगमोदा की उक्त आराजीयात वादीगण को सम्भलाकर चले गये, तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के भाई रामकुंवार का आज से करीब 15 वर्ष पहले व हीरालाल का 10–11 वर्ष पहले एवं रामनिवास का 8–9 वर्ष पहले देहान्त हो चुका ।

➢ प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 का वादीगण की भूमि ख.नं. 450 व 438 से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है । लेकिन प्रतिवादीगण जबरदस्ती लट्ठ के जोर से वादीगण की भूमि पर जबरदस्ती नाजायज कब्जा करना चाहते है । जबकि इनको ऐसा करने का कानून कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

दिनांक 09.09.12 सुबह करीब 9–10 बजे वादी प्रहलाद अपनी उक्त आराजीयात को उन्हालू की फसल के लिए हाक जोत करने के लिए गया तो प्रतिवादी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 मौके पर गये और कहा कि अबकी बार हम तुम्हें भूमि काश्त नहीं करने देगें व जबरदस्ती लठ के जोर से कब्जा करके रहेंगे इस पर वादी प्रहलाद ने कहा कि आप लोग क्योंकर हमारी खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर सकते हो लेकिन प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर तैयार हो गये, इस पर वादी प्रहलाद अपनी जान बचाकर वहां से आ गये, इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वो प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो वादीगण की उक्त आराजीयात के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करे ना अन्य से करावें बस यही विनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया ।

➢ वादीगण प्रार्थी हैकि दावा वादीगण बेखिलाफ प्रति[illegible] फरमाई जावे कि–

❖ प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] की कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमि [illegible] ख. नं. 438 रकबा 0.29 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर [illegible] ग्राम जगमोदा तहसील चौथ का बरवाडा के कब्जे काश्त में न तो स्वयं कोई मजाहमत व मदाखलत पैदा करे ना किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ दौराने दावा वादीगण की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर यदि प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलाया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब दावा पेश किया किया है कि–

❖ वादी गण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी खसरा नं. 438 रकबा 0.29 है0 व खसरा नं. 450 रकबा 0.20 है० ग्राम जगमोदा तहसील चौथ का बरवाडा में स्थित है। जिससे लगता हुआ पश्चिम की तरफ एक रास्ता है और रास्ते के बाद खसरा नं. 482 रकबा 1.06 है० स्थित है। खसरा नं. 482 रामदयाल, विनोद पुत्रान गोपी तथा अन्य परिवार के सदस्यों के नाम खातेदारी में दर्ज है इस भूमि को रामदयाल, विनोद आदि ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को काश्त के लिए बता रखी है जिस पर प्रतिवादीगण लगातार शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है खातेदार रामदयाल, विनोद आदि दिल्ली रहते है जहां कमाई करके परिवार का पालन पोषण कर रहे है।

❖ रामदयाल, विनोद के खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नं. 482 व वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 438 व खसरा नं. 450 के मध्य रास्ता कदीमी बना हुआ है जिसको वादीगण ने नाजायज कब्जा करके दबा रखा है व वादीगण रामदयाल, विनोद की खातेदारी भूमि जो प्रतिवादीगण के कब्जे में है को भी लट्ठ के जोर पर हड़प करना चाहते है। जिसका वादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने झूठे तथ्य पेश करके रास्ते की भूमि व प्रतिवादी गण के कब्जे में स्थित रामदयाल, विनोद की खातेदारी की भूमि को नाजायज तरीके से हडप करने के लिए दावा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

❖ दिनांक 09.09.2012 को वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच में कोई भी विवाद नहीं हुआ और न ही वादीगण की खातेदारी की भूमि को जबरन प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है।

❖ दिनांक 09.09.2012 को वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच में कोई भी विवाद नहीं हुआ और न ही वादीगण की खातेदारी की भूमि को जबरन प्रतिवादीगण ने कब्जा करने की धमकी दी है इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है।

❖ यह कि खसरा नं. 438 का रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में रकबा 0.29 है० दर्ज कर रखा है जबकि नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस खसरा नं. का रकबा करीब 1.26 है0 का है इस प्रकार वादीगण ने उनकी खातेदारी की भूमि से चौगुना भूमि पर कब्जा कर रखा है और उसके बाद भी रास्ते की भूमि को दबा रखा है। इस प्रकार वादीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये है इसलिए दावा खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई–

- आया खसरा नंबर 450 रकबा 0.20 है0 व खसरा नंबर 438 रकबा 0.29 है0 स्थित वाके ग्राम जगमोदा के संबंध में वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है ?
- आया खसरा नंबर 450, 438 के बाद पश्चिम में खसरा नंबर 482 स्थित है, जो रास्ते के बाद है, पर वादीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिससे यह दावा पेश किया है ?
- दादरसी।

6. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नलिखित हैं–
   - **पी0डब्ल्यू–1:–** चौथमल पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
   - **प्रदर्श–1:–** जमाबंदी संवत् 2066–2069 खाता संख्या 189 ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
   - **प्रदर्श–2:–** नक्शा ट्रेस ग्राम जगमोदा।
   - **प्रदर्श–3:–** नक्शा ट्रेस ग्राम जगमोदा।
   - **प्रदर्श–4:–** मिलान क्षेत्रफल ग्राम जगमोदा।
   - **प्रदर्श–5:–** जमाबंदी संवत् 2041–2044 खेवट खतौनी संख्या 142 ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
   - **प्रदर्श–6:–** जमाबंदी संवत् 2036–2039 खेवट खतौनी संख्या 133 ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

7. वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अवगत कराया कि वे साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं, अतः इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

8. वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की बहस सुनी गई। दौराने बहस दोनों विद्वान अधिवक्तागण द्वारा वादपत्र में जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।

1. मैने उक्त विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2066–2069 खाता संख्या 189 ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा (**प्रदर्श–1**) से के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक प्रहलाद पुत्र धन्ना, गुर्जर (फोत) निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा एवं उसके भाई विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। वादी द्वारा [illegible] प्रस्तुत स्वयं के बयानों के स्पष्ट है कि वादी 1/1 लगायत 1/6 की [illegible] विवादित आराजी पर काबिज है। एवं प्रतिवादीगण जबरदस्ती [illegible] करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबंद कराने का अधिकार प्राप्त है।

2. उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात खसरा नंबर 438 रकबा 0.29 एवं खसरा नंबर 450 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम जगमोदा तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं उक्त खसरा नंबरान में नवीन रास्ता नहीं निकालने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

—:आदेश:—

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 438 रकबा 0.29 एवं खसरा नंबर 450 रकबा 0.20 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:38 IST
Reason: SelfAttested